संख्या- 200 /2026/ 2402 /चार-2026-2075479

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2026**

विषय:- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अन्तर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14 व 15 अगस्त, 2026 को लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों पर कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1204/सं0नि0-15(53)/2026-27, दिनांक 07 अगस्त, 2026 एवं पत्र संख्या-1337/सं0नि0-15(53)/2026-27, दिनांक 14 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 के द्वारा प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान-2026 भव्य रूप से मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी श्रृंखला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14 व 15 अगस्त, 2026 को लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों यथा- 1090 चौराहा, गोमती नगर, मल्टीलेवल पार्किंग, हजरतगंज, घण्टा घर चौक, जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नं0-1, लूलु माल तथा इमराल्ड मॉल पर, लखनऊ में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करायी जानी प्रस्तावित हैं।

उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार तथा कार्यक्रम हेतु मंच, लाईट, साउण्ड एवं साज-सज्जा इत्यादि का कार्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा सचिवालय प्रशासन की अनुमोदित दरों पर कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	**विवरण**	**धनराशि (रूपये लाख में)**
1	02 दिवसीय 06 स्थलों पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर व्यय।	13.00
2	02 दिवसीय 06 स्थलों पर मंच निर्माण, लाईट एवं साउण्ड तथा साज-सज्जा इत्यादि पर व्यय ।	18.00
3	बैक ड्राफ, एल0ई0डी0, स्टैण्डी, होर्डिंग, सेल्फी प्वाइंट एवं ग्रीन रूम, इत्यादि पर व्यय।	09.50
4	बैक स्टेज (प्रमाण-पत्र, मोमेन्टो, अंगवस्त्र, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी एवं सूक्ष्म जलपान आदि) पर व्यय ।	2.50
	कुल योग (रूपये तैतालीस लाख मात्र) -	43.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अन्तर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14 व 15 अगस्त, 2026 को लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों पर कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध कराये गये **रू0 43.00 लाख** के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु धनराशि **रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>शर्तें/ प्रतिबन्ध -</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञापसंख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026- 231/2025, दिनाँक-28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in